नुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 149 क ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में सरा नं. 149 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से ी भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 23.07.2021 को डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 23.07.2021 की पालना में प्राथमिक प्रस्ताव जरिये पत्रांक 8 दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार ारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी श्रवणराम, हेमाराम, पीथाराम, मगनाराम, मांगीलाल ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। इसलिये मौजा नोसरिया तहसील के विवादग्रस्त खसरा नं. 149 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित ाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री ाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

त् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया ौजा नोसरिया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 149 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या ाथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 8 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक गा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149 रकबा 75.04 बीघा में से 3.0432 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 हेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149 रकबा 75.04 बीघा में से 3.0432 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 पीथाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149 रकबा 75.04 बीघा में से 3.0432 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 मगनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 149 रकबा 75.04 बीघा में से 3.0433 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट में मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 11/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर जलास सुनाया गया।

11/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner